न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 69/2019

1.श्रवणराम | पिसरान रामचन्द्र | जाति मेघवाल साकिन 33 एल.एल.डब्ल्यू तहसील

2. हेतराम | | पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम

1. साहबराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल साकिन 33 एल.एल. डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गोलूवाला।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक — प्रार्थीगण
2. श्री जगराज सिंह भारी — अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। —अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 30/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से है। यह कि उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें कामयाबी की प्रार्थीगण को पुर्ण सम्भावना है।

यह कि चक 33 एल. एल. डब्ल्यू के खाता सं. 66 पं.नं. 30/230 किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 5.060 हैक., पं.नं. 31/230 किला नं. 1 ता 13, 18 ता 23 की 4.807 हैक., पं.नं. 29/231 किला नं. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 18, की 2.530 हैक., कुल 12.397 हैक. कृषि भूमि में प्रार्थीगण की बहन पाना देवी रोशनी पिसरान रामचन्द्र व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 व बलराम पिसरान रामचन्द्र का 2.783 हैक. ब.हि. ब दर्ज राजस्व रिकार्ड था। इसी चक के खाता सं. 67 पं.नं. 31/231 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक., पं.नं. 30/231 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक., पं.नं. 30/232 किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक., पं.नं. 31/232 किला नं. 1 ता 9 की 2.277 हैक. कुल 17.457 हैक. में रामचन्द्र के वारीसान का पाना देवी रोशनी देवी हेतराम पिसरान रामचन्द्र का बहि.ब 3.492 हैक. दर्ज राजस्व अभिलेख है।

यह कि उक्त दोनो खातो की भूमि रामचन्द्र के फौत होने के बाद उनकी दोनो पुत्रीयो व चारो पुत्रो को विरास्तन ब.हि.ब [illegible] पुत्र रामचन्द्र ने अपना समस्त हिस्सा वैवान कर दिया है। रोशनी देवी पु[illegible] ने अपने हिस्से का हकत्याग अप्रार्थीगण सं. 1 के पक्ष में कर [illegible] ने अपने हिस्से का हकत्याग प्रार्थीगण के पक्ष में कर [illegible] रामचन्द्र द्वारा हक [illegible] नामान्तरण दिनांक 05.05.2014 के मुताबिक अप्रार्थीगण [illegible] के नाम दर्ज हुआ जिस[illegible] प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उक्त दोनो खातो की प्रश्नगत भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 की बहन रोशनी देवी व पाना देवी द्वारा अपना हक त्याग करने के पश्चात कुल 5.228 हैक. भूमि के प्रार्थीगण व

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण सं. 1 ब.हि.ब के खातेदार हुये। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित डिक्रि दिनांक 30.01.2018 दावा अनवान गणपतराम आदि बनाम जेठाराम में पक्षकारान के खाता विभाजन की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 को चक 33 एल.एल. डब्ल्यू के पं.नं. 30/230 किला नं. 13, 14/0.506, 16/.202, 17/.253, 18/.219, 24, 25/.506, पं.नं. 31/231 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक. पं.नं. 31/232 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक. कुल 5.228 हैक. भूमि ब.हि.ब प्राप्त हुई। इस डिक्रि के मुताबिक राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है। चित्र प्रति जमाबंदी चक 33 एल. एल. डब्ल्यू सम्वत् 2072 यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित 5.228 हैक. भूमि मे प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है। सं. 1 के ब.हि.ब के खातेदार काश्तकार है। प्रत्येक का इस भूमि में 1/3 हिस्सा यानी 1.743 हैक. हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है इस भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 अच्छी मन्दी काश्त की सहुलियत के हिसाब से निम्न प्रकार से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है–

प्रार्थी सं. 1 श्रवणराम को प्राप्त भूमिः–चक 33 एल. एल. डब्ल्यू के पं.नं. 31/231 किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 की 1. 265 हैक., पं.नं. 31/232 किला नं. 4/253, 71.225 कुल 1.743 हैक. भूमि

प्रार्थी सं. 2 हेतराम को प्राप्त भूमि–चक 33 एल.एल.डब्ल्यू के पं.नं. 31/231 किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक., पं.नं. 31/232 किला नं. 57.253, 61.225 कुल 1.743 हैक. भूमि शेष भूमि अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त भूमि है।

यह कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण सं. 1 प्रार्थना पत्र की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु खाता भी सांझा है जिस कारण पक्षकारो के मध्य सिंव बट व रकम राज को लेकर तनाजा बना रहता है।

यह कि इसलिए प्रार्थीगण अपना खाता विभाजन करवाने के हकदार है। प्रश्नतग 5. 228 हैक. भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसकी प्रार्थीगण एंव इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं. 1 मुताबिक हिस्सा 1/3 1/3 भूमि की वाद पत्र की दफा 5 के मुताबिक अलग काश्त कर रहे है परन्तु खाता संयुक्त होने के कारण अप्रार्थीगण सं. 1 समय समय पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने व इस भूमि को अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करने एंव बगैर खाता विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमाद है। जिस कारण हम प्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। प्रथम दृष्टा मामला व सुविध का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी अपने इस मकसद मे कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण प्राप्त करने का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का फैसला वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 इस अमर की जारी की जावे की चक 33 एल.एल.डब्ल्यू के पं.नं. 30/230 किला नं. 13, 14/0.506, 16/. 202, 177.253, 18/.219, 24, 25/506, पं.नं. 31/231 किला नं. 4 ता 7. 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक., पं.नं. 31/232 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक. कुल 5.228 हैक. भूमि प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध कोई दस्तावेज निष्पादीत नही करे तथा राजस्व अभिलेख में किसी [illegible] का परिर्वतन नही करवाये एंव प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल [illegible]

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रि[illegible]गया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षिय सुनी गई जिसपर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शु[illegible]है। अप्रार्थी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता हाजिर जवाब प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 निम्न अनुसार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मुताबिक स्वीकार है। पिता रामचन्द्र के फौत होने के बाद यह भूमि पाना देवी, रोशनी, बलराम, साहबराम, श्रवणराम पिसरान हेतराम के नाम ब.हि.ब. विरास्तन दर्ज हुई। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन कि रामचन्द्र के नाम कृषि भूमि विरास्तन दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई जिसमें बलराम द्वारा अपना समस्त हिस्सा बेचान कर दिया। पाना देवी नें अपना समस्त हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्सा में ब.हि.ब. हक त्याग कर दिया, रोशनी देवी पुत्री रामचन्द्र द्वारा अपना समस्त हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के हक में जरिये दस्तबरदारी हक त्याग कर दिया स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन कि रोशनी देवी व पाना देवी द्वारा हक त्याग करने के पश्चात 5.228 हैक. भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार हुए अस्वीकार है । अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में रोशनी देवी पुत्री रामचन्द्र द्वारा हक त्याग किया गया, हक त्याग के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 का रामचन्द्र से विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि में 2 हिस्सा का अकंन हुआ। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 30.01.2018 बअनवान गणपतराम बनाम जेठाराम में वादी व अप्रार्थी सं. 1 को चक 33 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 30/230 किला नं. 13, 14, 16/.202, 17, 18/.219, 24, 25 की 1.686 हैक., प.नं. 31/231 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की 2. 530 हैक., प.नं. 31/232 किला नं. 4 ता 7 की 1.012 हैक. इस प्रकार कुल 5.228 हैक. भूमि में ब.हि.ब. का निर्णय पारित किया गया। उक्त अनवान के दावा में अप्रार्थी सं.1 व प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की असालतन या वकालतन पैरवी नही की गई है। दिनांक 30.01.2018 के निर्णय में अप्रार्थी सं.1 के हिस्से को कम किया जाकर प्रार्थीगण का हिस्सा अप्रार्थी सं.1 के हिस्से के बराबर निर्णय विधि विरूद्व पारित किया गया। अप्रार्थी सं.1 को पिता रामचन्द्र से विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि में मुताबिक विरास्तन इन्तकाल व रोशनी देवी द्वारा अपने हिस्सा का हक त्याग अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में होने के कारण कुल 2 हिस्सा यानी 2. 090 हैक. कृषि भूमि प्राप्त होनी चाहिये थी परन्तु उक्त अनवान गणपतराम बनाम जेठाराम के निर्णय व डिक्री में प्रार्थीगण व

अप्रार्थी सं. 1 का ब. हि. ब. हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज कर दिया गया। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित 5.228 हैक. कृषि भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार नही है। बाद पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि 5.228 हैक. में अप्रार्थी सं.1 का 2.090 हैक. कृषि भूमि का हक व हिस्सा बनता है। मुताबिक हिस्सा अप्रार्थी सं.1 अपनी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा हिस्सा अनुसार कब्जा गलत दर्शाया गया है। जो कि अस्वीकार है। अप्रार्थी सं.1 चक 33 एलएलडब्लयू के प.नं. 31/232 किला नं. 61.202, 71.202 की 0.404 हैक., प.नं. 30/230 किला नं. 13, 14, 16/. 202, 17, 18/.219, 24, 25 की 1.686 हैक. की कुल 2.090 हैक. भूमि पर काबिज काश्त है। मुताबिक कब्जा व दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी सं.1 अपने नाम खातेदारी घोषणा व खाता विभाजन करवाने का हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। अ[illegible] सं.[illegible]ताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त चक 33 एलएलडब्लयू के प.नं. 31/232 [illegible] 71.202 की 0.404 हैक., प.नं. 30/230 किला नं. 13, 14, 16/[illegible] की 1.686 हैक. की कुल 2.090 हैक. भूमि का खाता विभाजन करवाने का हकदार [illegible] यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त तथ्यो को पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जो काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्सा से अधिक कृषि भूमि का खाता विभाजन चाहा है। अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्सा व कब्जा की कृषि भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को बेचने व खुर्द बुर्द करने पर आमाद नही है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय

सहायक कलक्टर
पोकरण
जिला जैसलमेर

व अपरिमेय क्षति नही हो रही है व ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण का वाद पत्र काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैसला दावा तक स्थाई व्ययादेश जारी हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी अपने हक्क व हिस्सा से अधिक कृषि भूमि खाता विभाजन दावा प्रस्तुत कर करना चाहता है इस प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि वाद पत्र खाता विभाजन का है एवं प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 29.07.2019 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30/06/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 11:08:01 IST
Reason: SelfAttested